न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.),आसीन्द जिला–भीलवाडा

बजरिये श्री संदीप कुमार आर.ए.एस.

मेन्यूअल प्रकरण संख्या	59/2022
G.C.M.S. प्रकरण संख्या	2022/60
प्रकरण दर्ज होने की दिनांक	27.01.2022
प्रकरण में निर्णय होने की दिनांक	18.04.2022

अनवान

1	विक्रमसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह चुण्डावत नि.झालरा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
2	विजेन्द्रसिंह पुत्र जालमसिंह चुण्डावत नि.झालरा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

— प्रार्थीगण

बनाम

1	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आसीन्द जिला भीलवाड़ा

— अप्रार्थी

उपस्थिति –अधिवक्ता प्रार्थीगण	श्री पदमसिंह देथा
उपस्थितिः- अधिवक्ता अप्रार्थी	पैरोकार सरकार / श्री आशीष सोनी तहसीलदार आसीन्द

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

:: निर्णय ::

(1) प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर संक्षेपतः निवेदन किया है राजस्व ग्राम बगता का खेड़ा पटवार हल्का रघुनाथपुरा की सरहद में आ.नं.5 रकबा 7.86 हैक्टर में से 0.60 हैक्टर कृषि भूमि हरदेव पि.नानू गूर्जर तथा 0.60 हैक्टर कृषि भूमि गजरी पत्नि देबी गूर्जर नि.बगता का खेड़ा को आवन्टित की गयी तथा उक्त आवन्टन के पश्चात राजस्व कर्मचारियों ने उक्त आराजी नम्बर 5 रकबा 7.86 हैक्टर में आवन्टनशुदा भूमि का आवन्टितियों को कब्जा सिपुर्द कर दिया गया तथा निरन्तर जारी रहा।

(2) उक्त आवन्टन के आधार पर जरिये नामान्तरण संख्या 165 निर्णय दिनांक 19.02.2005 से आ.न.1462/5 रकबा 0.60 हैक्टर भूमि मे आवन्टि[illegible] को तथा नामान्तरण संख्या 163 निर्णय दिनांक 19.02.2005 से आवन्टि[illegible] रेकार्ड किया गया।

(3) उक्त आवन्टितियों को खातेदारी [illegible] नके द्वारा उक्त कृषि भूमि [illegible] न किया गया तथा वर्तमान में उक्त भूमि शिवम ग्रेनाईट्स भीलवाड़ [illegible] नाम दर्ज रेकार्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.05.09 15:45:20 IST
Reason: SelfAttested

(4) उक्त आराजी नम्बर 1462/5 व 1460/5 रकबा 1.20 हैक्टर की नक्शा तरमीम गलत अंकन कर दी जबकि आवन्टन से लेकर लगातार वर्तमान तक कब्जा सिपुर्दगी के स्थान पर ही प्रार्थीगण का कब्जा

सहायक कलक्टर (S.D.O.)
आसीन्द जिला भीलवाड़ा

चला आ रहा है परन्तु आ.नं.5 का रकबा 7.86 हैक्टर बड़ा होने से तत्कालीन पटवारी द्वारा लिपिकीय त्रुटिवश कब्जा सिपुर्दगी के स्थान को छोड़ते हुये इसी मीन आराजी में पीछे की तरफ नक्शा तरमीम कर दी गयी जो कि लिपिकीय भूल होकर सदभाविक रूप से दुरस्त किये जाने योग्य है।

(5) अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व ग्राम बगता का खेड़ा पटवार हल्का रघुनाथपुरा की प्रार्थीगण की खातेदारी शुदा आराजियात 1460/5 रकबा 0.60 हैक्टर एंव आ.नं.1462/5 रकबा 0.60 हैक्टर की गलत नक्शा तरमीम को दुरूस्त करते हुये आवन्टन अनुसार काबिज स्थान पर नक्शा तरमीम करने का आदेश प्रदान करावें तथा इसी के अनुसार राजस्व रेकार्ड में नक्शा ट्रेस में सही तरमीम अमल दरामद करने का आदेश प्रदान करावें।

(6) प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को सम्मन जारी किये गये। अप्रार्थी के सम्मन बाद तामिल प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार ने जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 15.03.2022 प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है।

(7) प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना –पत्र के समर्थन में निम्नांकित दस्तावेज प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली किये गये –

क्र.सं.	दस्तावेज का नाम	दस्तावेज संपादन कर्ता का विवरण
1	शपथ-पत्र	हरदेव पुत्र नानू गूर्जर नि.बगता का खेड़ा तहसील आसीन्द
2	शपथ-पत्र	गजरीदेवी पत्नि देबी गूर्जर नि.बगता का खेड़ा तहसील आसीन्द
3	शपथ-पत्र	मैमादेवी पत्नि राजू गूर्जर नि.बगता का खेड़ा तहसील आसीन्द
4	शपथ –पत्र	विक्रमसिंह पि.लक्ष्मणसिंह राजपूत नि.झालरा तहसील आसीन्द
5	शपथ –पत्र	विजेन्द्रसिंह पि.जालमसिंह राजपूत नि.झालरा तहसील आसीन्द
6	शपथ –पत्र	राजमल पि.हरदेवलाल गूर्जर नि.बगता का खेड़ा तहसील आसीन्द
7	राजस्व रेकार्ड	आवन्टन प्रार्थना पत्र / सिपूर्दगीनामा / नामान्तरण आदि

(8) तहसीलदार आसीन्द द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 14.02.2022 से साथ –साथ निम्नांकित दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली है –

A. रिपोर्ट भू.अ.निरीक्षक दौलतगढ़ दिनांक 10.02.2022
B. हाल जमाबन्दी ग्राम बगता का खेड़ा संवत 2074-77 खाता संख्या 45 ,202 व 1
C. नक्शा ट्रेस आ.नं.1462/5 व 1460/5 ग्राम बगता का खेड़ा
D. नजरी नक्शा आ.नं.1462/5 व 1460/5 ग्राम बगता का खेड़ा
E. नजरी नक्शा ग्राम बगता का खेड़ा जिसमें प्रार्थीगण का कब्जा दर्शाया गया है।
F. मौका पर्चा तहसीलदार आसीन्द दिनांक 09.0[illegible] [illegible]म बगता का खेड़ा आ.नं.1462/5 व 1460/5

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.05.09 15:45:20 IST
Reason: SelfAttested

(9) प्रकरण में बहस वकील प्रार्थीगण व पै[illegible] बहस में वकील प्रार्थीगण नें प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि तरमीम द[illegible]रूस्त किया जाना न्यायहित में उचित है एंव पैरोकार सरकार ने कथन किया कि मौका रिपोर्ट तहसीलदार आसीन्द के अनुसार आदेश पारित किये जाने में राज्य सरकार को कोई आपत्ति / एतराज नहीं है।

सहायक कलक्टर(S.D.O.)
आसीन्द जिला भीलवाड़ा

(10) मौका रिपोर्ट तहसीलदार आसीन्द के अनुसार प्रकरण का संक्षेपतः विवरण निम्नानुसार है –

I. ग्राम बगता का खेड़ा के बिलानाम आ.नं.5 रकबा 7.86 हैक्टर भूमि में से रकबा 0.60 हैक्टर भूमि हरदेव पि.नेनू गूर्जर नि.बगता का खेड़ा को आवन्टन की गयी थी आवन्टन पर आवन्टिती को आ.नं.5 के पश्चिम की ओर ग्राम सूलिया की सरहद से लगता हुआ कब्जा सिपुर्द किया। आवन्टिती द्वारा नोटेरीशुदा शपथ पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त आवन्टित भूमि की तरमीम आराजी नम्बर 5 की पूर्वी दिशा की ओर कर दी गयी जबकि कब्जा पश्चिम की ओर ग्राम सूलिया की सरहद से लगता हुआ सिपुर्द किया था।

II. ग्राम बगता का खेड़ा के बिलानाम आ.नं.5 में से रकबा 0.60 हैक्टर भूमि गजरीदेवी पत्नि देबी गूर्जर नि.बगता का खेड़ा को आवन्टित हुई जिसके बटा नम्बर 1460/5 कायम किये गये। आवन्टिती को आ.नं.5 की पश्चिमी मेड़ पर ग्राम सूलिया की सरहद से लगता हुआ कब्जा सिपुर्द कर तरमीम आराजियात की पूर्वी मेड़ पर कर दी गयी। जिसके सम्बन्ध में आवन्टिती द्वारा शपथ –पत्र प्रस्तुत किया गया।

III. श्रीमती मेमा पत्नि राजू गूर्जर नि.बगता का खेड़ा ने उक्त आवन्टिती श्री हरदेव पि.नेनू गूर्जर नि.बगता का खेड़ा से आ.नं.1460/5 रकबा 0.60 हैक्टर भूमि क्रय कर कब्जा ग्राम सूलिया की सरहद के पास प्राप्त किया जाना उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र में व्यक्त किया है। मेमादेवी ने भी अपनी कृषि भूमि प्रार्थीगण तथा राजमल पि.हरदेवलाल गूर्जर नि.बगता का खेड़ा को बेचान कर कब्जा आ.नं.5 के पश्चिम की ओर ग्राम सूलिया की सरहद से लगता हुआ सिपुर्द किया। इस आशय का शपथ – पत्र नोटेरीशुदा पेश किया गया जो शामिल पत्रावली है।

IV. मौके पर प्रार्थीगण द्वारा मिट्टी का पारा लगाकर कब्जा ग्राम सूलिया की सरहद से लगता हुआ किया हुआ है।

V. आ.नं.5 की पूर्वी दिशा में आ.नं.1460/5 एंव 1462/5 की हाल नक्शे में की गयी त्रुटिपूर्ण तरमीम को दुरूस्त की जाकर ग्राम सूलिया की सरहद से लगती हुई कब्जे अनुसार तरमीम किया जाना उचित है। तरमीम दुरूस्ती के सम्बन्ध में कोई सार्वजनिक आपत्ति नहीं है। तथा किसी भी न्यायालय में उक्त आराजियात के सम्बन्ध मे वाद विचाराधीन नहीं है।

VI. आवन्टिती गजरीदेवी पत्नि देबी गूर्जर ने आ.नं.1460/5 रकबा 0.60 हैक्टर भूमि का बेचान प्रार्थीगण व राजमल पि.हरदेव गूर्जर नि.बगता का खेड़ा को कर कब्जा ग्राम सूलिया की सरहद से लगता हुआ सुपुर्द किया है जिसके सम्बन्ध में गजरी द्वारा प्रस्तुत शपथ –पत्र शामिल पत्रावली है।

(11) पत्रावली का गहन अध्ययन किया [illegible] पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों /जवाब पैरोकार सरकार /मौका रिपोर्ट तहसीलदार आसीन्द [illegible] द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत किये गये शपथ-पत्रों का अवलोकन किया गया [illegible] को प्रार्थना –पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.05.09 15:45:20 IST
Reason: SelfAttested

क्रियात्मक आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम बगता का खेड़ा की जमाबन्दी संवत 2074-77 में निम्नानुसार संशोधन के आदेश किये जाते है -

सहायक कलक्टर [S.D.O.]
आसीन्द जिला भीलवाड़ा

क्र.सं.	आराजी नम्बर	कुल रकबा	किस्म	वर्तमान खातेदार का नाम	परिवर्तन पश्चात खातेदार का नाम	विशेष विवरण
1	1460/5	0.60	बीड़	मैसर्स श्री शिवम ग्रेनाईट्स हिस्सा पूर्ण सा.मकान न.एफ -131 पूर्व विस्तार सुभाषनगर भीलवाड़ा	बिलानाम सरकार	0.60 सम्पूर्ण
2	1462/5	0.60	बीड़			0.60 सम्पूर्ण
4	5 मी	1.20	बीड़	बिलानाम सरकार	मैसर्स श्री शिवम ग्रेनाईट्स हिस्सा पूर्ण सा.मकान न.एफ -131 पूर्व विस्तार सुभाषनगर भीलवाड़ा	तरमीमशुदा नक्शा ILR के अनुसार आ.न.5 में से रकबा 1.20 हैक्टर भूमि के नवीन आराजी नम्बर कायम करते हुए तरमीम की जावे।

तदनुसार जरिये नामान्तरणकरण राजस्व रेकार्ड में आवश्यक इन्द्राज हेतु तहसीलदार आसीन्द को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। निर्णय आज दिनांक 18.04.2022 को सरे -इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार)
सहायक कलक्टर{S.D.O.}
आसीन्द जिला भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड आसीन्द जिला भीलवाड़ा

क्रमांक / रीडर / 2022 / 40

दिनांक 28.4.2022

प्रतिलिपीः- तहसीलदार आसीन्द को प्रेषित कर लेख है कि निर्णय की पालना में जरिये नामान्तरणकरण राजस्व रेकार्ड में आवश्यक इन्द्राज करा पालना रिपोर्ट मय राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतियों यथा नामान्तरणकरण / जमाबन्दी नकल / नक्शा ट्रेस आदि के इस न्यायालय में 7 दिवस में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सहायक कलक्टर{S.D.O.}
आसीन्द जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.05.09 15:45:20 IST
Reason: SelfAttested